NOTEPRESS

30/8/24 को प्रार्थी वकील बाबी के प्रार्थना पत्र अनुसार केस की सुनवाई की गई। वकील बाबी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उसके बाद NOT PRESS में रखा गया है। उसके बाद सहायक कलक्टर द्वारा केस की सुनवाई की गई। NOT PRESS में रखा गया है। पत्रावली फैसल होना अभी बाकी है। पत्रावली फैसल होना बाकी है। अतः पत्रावली को अग्रिम सुनवाई हेतु रखा जाए। 30/8/24 को केस दायर निरस्तगी प्रार्थना पत्र उभय पक्ष/प्रतिभू प्रस्तुत पर पत्रावली रखे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner